न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/52/2022	2022/128	01.11.2022	15.01.2025

01— इसरा खां पुत्र अजमत खान निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

01— श्री चन्द्र किशोर मीना पुत्र श्री रामजीलाल मीना जाति मीणा निवासी ट्रांसफॉर्मर के पास नयाबास, अलवर हाल निवासी अमरावली महाराष्ट्र राज्य।

02— चिरंजी लाल पुत्र मुरली जाति मीणा,

03— प्रियंका पुत्री स्व0 श्री मनोहर लाल जाति मीणा,

04— हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री मनोहर जाति मीणा,

05— अनिता रानी पत्नी स्व0 श्री मनोहर जाति मीणा निवासीयान अलवर।

— रेस्पो0

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ आदेश दिनांक 29.09.2022 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 08/22

उपस्थितः—

01—श्री उदय सिंह —वकील अपी0

02—श्री शैलेन्द्र भार्गव —वकील रेस्पो0

—:: निर्णय ::—

अपी0 द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 29.09.2022 प्रकरण संख्या 08/2022 ग्राम रूंध धुनीनाथ तहसील रामगढ़ जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपी0 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 41 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 43 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध धूनीनाथ तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के हक में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त काश्तकारी की पैतृक आराजी है, जिसे राजस्थान सरकार की नीतियों के अनुसार प्रार्थीगण के बुजुर्गों को राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित की गई थी। जिस पर प्रार्थीगण व उनके बुजुर्ग बाद आवंटन शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के हक में आराजी का गैरखातेदारी से खातेदारी का इंतकाल भी दिनांक 17.09.1980 को दर्ज किया जा चुका है। प्रार्थी केन्द्र सरकार में राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण प्रार्थी का उक्त आराजी पर आना—जाना कुछ समय से कम हो जाने के कारण परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ पडौसी खातेदार व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण की जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थीगण राजनैतिक रूप से जान—पहचान रखते हैं, उनके मन में बेईमानी आ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

गई है, वे प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी को जबरन हडपना चाहते हैं। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थीगण को आराजी पर गये तो उन्हें इस अतिक्रमण व अवैध निर्माण का ज्ञान हुआ, जिसके आधार पर अतिकृगियों के खिलाफ कार्यवाही कर बेदखल करने का निवेदन किया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्टान को तलब किया गया, जिस पर अपीलाण्टान हाजिर अदालत हो गये, तदोपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 29.09.2022 को विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपील हाजा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्टान को नोटिस भेजे जाने के उपरांत अपीलाण्टान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये, तथा जवाब एवं वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। तदोपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.08.2022 की नियत की गई, दिनांक 18.08.2022 को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.08.2022 नियत की गई। दिनांक 30.08. 2022 को पाण्डुपोल का मेला होने के कारण अवकाश हो जाने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.09.2022 की नियत की गई। इसके उपरांत दिनांक 29.09.2022 की तारीख पेशी नियत की गई, तथा दिनांक 29.09.2022 को बिना अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर दिये व बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये, एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

पटवारी हल्का द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह जांच रिपोर्ट कतई गलत प्रकार से बनाई गई है, तथा उसमें सीमाज्ञान गलत प्रकार से दर्शाया गया है। जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। जबकि अपीलाण्ट व शोभाराम पुत्र कन्हैयालाल आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 0.30 हैक्टेयर के काबिज काश्तकार खातेदार हैं, तथा अपीलाण्ट व शोभाराम द्वारा उक्त आराजी को जरिये इकरारनामा बय दिनांक 26.11.2020 के अजय एवं राजेश को विक्रय किया हुआ है। यह तथ्य इस बात से भली भांति प्रमाणित हैं कि श्रीमान तहसीलदार रामगढ द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगढ के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त दावा में तहसीलदार रामगढ द्वारा आराजी खसरा नंबर 278 रकबा 0.30 हैक्टेयर जो कि ईसरा खान पुत्र अजमत व शोभाराम पुत्र कन्हैयालाल की खातेदारी की आराजी है, जिसमें ईसरा खां व शोभाराम वगैरा द्वारा चारीदवारी कर कच्चा रोड का निर्माण किये जाने का आरोप लगाया गया। जो दावा संख्या 2/76 तारीख रजू दिनांक 10.03.2021 में दिनांक 21.09.2021 को निर्णय पारित किया गया, तथा जिस आदेश में उक्त खसरा नंबर 278 रकबा 0.30 हैक्टेयर का खातेदार, काबिज काश्तकार ईसरा खान व शोभाराम माना गया है। जिससे यह भली भांति साबित है कि अपीलाण्ट व शोभाराम द्वारा जरिये इकरारनामा विक्रय की गई आराजी पर अजय व राजेश काबिज हैं, तथा रेस्पोडेण्टान की किसी भी आराजी पर अपीलाण्ट काबिज नहीं है। अपीलाण्ट की आराजी ग्राम ढाढोली की सीमा में स्थित है, जबकि रेस्पोडेण्टान की आराजी ग्राम रूंध धूनीनाथ की सीमा में स्थित है, तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की आराजी दोनों गांव की सींव पर लगती हैं, तथा रेस्पोडेण्टान उनके द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

बताई गई आराजी पर कभी काबिज नहीं रहे, तथा अपीलाण्ट अपनी स्वयं की आराजी पर काबिज रहे हैं, तथा उक्त आराजी अजय व राजेश को विक्रय करने के उपरांत अजय व राजेश काबिज हैं। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा गलत सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें ईसरा को 0.25 हैक्टेयर पर काबिज बताया गया है, किन्तु अपनी रिपोर्ट में ईसरा खान किस खसरा नंबर की 25 ऐयर भूमि पर काबिज है, का अंकन नहीं किया है, उक्त गलत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा विक्रय की गई आराजी पर अजय व राजेश काबिज हैं, तथा रेस्पोडेण्ट कभी भी उसके द्वारा बताई गई आराजी पर काबिज नहीं रहा, इस कारण उसको आराजी का सीमाज्ञान ही नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2022 खारिज किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो० द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो० अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख०न० 41 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आराजी ख०न० 42 रकबा 0.28 हैक्टेयर, आराजी ख0न0 43 रकबा 0.77 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम रूंध धुनीनाथ तह० रामगढ में स्थित है। जिसका राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के हक में दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त काश्तकारी की पैतृक आराजी है जिसे राजस्थान सरकार की नितियों के अनुसार प्रार्थीगण के बुजुर्गो को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटित की गई थी जिस पर प्रार्थीगण/रेस्पो०व उनके बुजुर्ग बाद आवंटन शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण/रेस्पो० के हक में आराजी का गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्तकाल भी दिनांक 17.09.1980 को दर्ज किया जा चुका है तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड में वे बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी केन्द्र सरकार राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण प्रार्थी का उक्त आराजी पर आना जाना कुछ समय से कम हो जाने के कारण परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ पडौसी खातेदार व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो० की जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर लिया है। अपी० राजनैतिक रूप से जान पहचान रखते है तथा उनके मन मे बेईमानी आ गई है वे प्रार्थीगण/रेस्पो० की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी को जबरन हडपना चाहते है। प्रार्थीगण/रेस्पो० द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ को प्रस्तुत कर स्वंय की आराजी खसरा नम्बर 41, 42, 43 वाके ग्राम संघ धुनीनाथ के सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31.05.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान कराया व प्रार्थीगण/रेस्पो०की आराजी पर निशानात लगाकर व जरीब चलाकर सीमाज्ञान कराया गया। प्रार्थीगण/रेस्पो० की उक्त आराजी पर अपी० ने नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थीगण/रेस्पो० अनुसूचित जनजाति से आते है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बगडमेव खसरा नंबर 41, 42, 43 रकबा क्रमशः 0.18 है, 0.28 है0, 0.77 है0 कुल रकबा 1.23 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम रूंध धुनीनाथ तहसील रामगढ राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्र किशोर पुत्र रामजीलाल, चिरंजीलाल पुत्र मुरली, हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री मनोहर, प्रियंका पुत्री स्व0 श्री मनोहर एवं अनिता पत्नी स्व0 श्री मनोहर समस्त जातियान मीणा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपी0 इसरा खां पुत्र अजमत का रेस्पोडेंट चन्द्र किशोर पुत्र रामजीलाल, चिरंजीलाल पुत्र मुरली,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 श्री मनोहर, प्रियंका पुत्री स्व0 श्री मनोहर एवं अनिता पत्नी स्व0 श्री मनोहर समस्त जातियान मीणा की उक्त आराजी पर अवैध कबजा साबित होता है, जो राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 183 बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ, द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर धारा 183 (बी) राज0 काश्त0 अधि0 निर्णय किया, जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 29.09.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)